केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एवं प्रस्तावित राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आर0जी0पी0एस0ए0) पर संक्षिप्त टिप्पणी

श्रीमती रश्मि शुक्ला शर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशा0 पत्र संख्या–के–11011/18/2013–डी0पी0ई0, दिनांक 25.04.2013 से प्राप्त आर0जी0पी0एस0ए0 की मार्गदर्शिका का सारसंक्षेप निम्नलिखित रूप से हैः–

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान,पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत धनराशि का वित्त पोषण केन्द्र सरकार तथा 25 प्रतिशत धनराशि का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

उद्देश्य :–

योजना का उद्देश्य पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि पंचायतों में आम–आदमी की भागीदारी की प्रोन्नति, पंचायतों को लोकतांत्रिक रूप से निर्णय लेने एवं उत्तरदायित्व निभाने हेतु सक्षम बनाना, जानकारी एवं पंचायतों की क्षमतावृद्धि हेतु पंचायतों के संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, 73वां संविधान संशोधन (Article-243) की भावना के अनुरूप अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का पंचायतों को सुपुर्दगी, पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जन सहभागिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण तथा संवैधानिक व्यवस्था के पंचायतों को सशक्त रूप देना है।

विस्तार–

यह योजना देश के सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में चलाई जायेगी।

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत दिये गये मार्ग–निर्देशों के अनुसार उक्त योजना में उल्लिखित विभिन्न कार्यों में से राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक कार्ययोजना तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना काल हेतु दीर्घयोजना (Perspective Plan) बनायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग भी अपनी योजना बनाकर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी, जिन पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा सकेगा।

कार्य निष्पादन (Performance) के आधार पर योजना का मूल्यांकन व 20 प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति –

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से प्रस्तावित योजना के आधार पर धनराशि दी जायेगी तथापि 2014–15 से कुल योजना की 20 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकारों द्वारा 73वाँ संविधान

संशोधन के प्राविधान के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों के आधार पर दी जायेगी। उक्त कार्य बिन्दु निम्नलिखित रूप से हैं :–

1. पंचायतों को प्रशासनिक एवं तकनीकी मदद देने हेतु अपनायी गई उचित नीति।
2. पंचायतों को कर एवं शुल्क जैसे स्रोतों से धन उगाही हेतु अधिकार सम्पन्न किया जाना।
3. पंचायतों को अन्टाइड फण्डस उपलब्ध कराया जाना और राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि को ससमय निर्धारित अवधि के अन्दर निर्गत किया जाना।
4. पंचायतों को कार्य, कर्मी व धनराशि का हस्तान्तरण।
5. जिला योजना समिति के माध्यम से नीचे से नियोजन की प्रक्रिया व कन्वर्जेन्स का कार्यान्वयन।
6. राज्य निर्वाचन आयोग को स्वायत्तशासी बनाना एवं स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित किया जाना।
7. पंचायतों की क्षमतावृद्धि हेतु पंचायतों का ढांचा मजबूत किया जाना।
8. पंचायतों की कार्य निष्पादन/मूल्यांकन प्रणाली (System of Performance Assessment) को कार्यान्वित किया जाना।
9. ग्राम सभा का सुदृढ़ीकरण, महिला सभा तथा वार्ड सभा की प्रोन्नति।
10. उत्तरदायित्व प्रक्रिया का स्वेच्छा से सूचना का उद्घाटन एवं सामाजिक अंकेक्षण।
11. बजट, एकाउन्ट्स तथा आडिट प्रणाली, विशेषकर E-enabled process को मजबूत करना, कम से कम जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर ऑनलाइन एकाउटिंग की व्यवस्था लागू करना।

केन्द्र से तकनीकी सहायता–

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तकनीकी सहायता भी प्रदान की जायेगी। इस हेतु केन्द्र स्तर (पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार) पर एक National Programme Management Unit (NPMU) की स्थापना की जायेगी। जो तकनीकी सहायता हेतु एक राष्ट्रीय योजना भी तैयार करेगी।

समितियों का गठन–

योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु केन्द्र स्तर पर पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में जिसमें ग्राम्य विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय एवं कल्याण, जनजाति के मंत्री/राज्यमंत्री भी सदस्य हैं, एक सेन्ट्रल स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। इसी प्रकार इससे निचले स्तर पर सचिव पंचायती राज की अध्यक्षता में एक सेन्ट्रल एक्जक्यूटिव कमेटी का भी गठन किया जायेगा। यह कमेटी राज्य सरकार की योजनाओं को स्वीकृत करेगी।

यह भी अपेक्षा की गई है कि राज्य स्तर पर नीति–निर्देशन हेतु एक स्टेट स्टेयरिंग कमेटी तथा योजनाओं को स्वीकृत तथा अनुश्रवण करने हेतु स्टेट एक्जेक्यूटिव कमेटी का भी गठन किया जाय।

योजना का क्रियान्वयन नियमित विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा। जिसका केन्द्र, राष्ट्र एवं जिला स्तर पर गठित Programme Management Unit द्वारा अपेक्षित सहायता पहुँचायी जायेगी।

धनराशि आवंटन का आधार–

वर्ष 2014–15 से केन्द्रांश का 80 प्रतिशत राज्य की ग्रामीण जनता, स्वीकृत योजना एवं अवमुक्त धनराशि के उपभोग के आधार पर दिया जायेगा जो राज्य बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको परफारमेन्स के आधार पर की जाने वाली 20 प्रतिशत धनराशि से अधिक अंश भी प्राप्त हो सकेगा।

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि राज्य सरकारों के कन्सोलीडेटेड फण्ड के माध्यम से परिचालित की जायेगी। धनराशि प्रतिवर्ष दो समान किश्तों में प्रदान की जायेगी। दूसरी किश्त प्रथम किश्त की 60 प्रतिशत धनराशि के उपभोग होने पर अवमुक्त की जा सकेगी।

कुल योजना लागत का 5 प्रतिशत नियोजन एवं प्रबन्धन तथा 1 प्रतिशत अंश Information Education & Communication (I.E.C.) गतिविधियों पर किया जा सकता है।

योजनाएँ जो ली जा सकती हैं :–

- ड्राफ्ट गाइड लाइन्स के संलग्नक–4 में वह गतिविधियां दी गयी हैं जो राज्य योजनाओं में ली जा सकती है, तथापि राज्यों को यह छूट है कि इनमें से कुछ योजनाएं जो वह लेना चाहते हैं वह लें, सभी गतिविधियां लेना अनिवार्य नहीं है।

समष्टि रूप में गतिविधियां निम्नलिखित रूप से हैं :–

1. प्रशासनिक एवं तकनीकी समर्थन
2. ग्राम पंचायत भवन
3. निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि एवं कर्मियों का प्रशिक्षण।
4. राज्य, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण हेतु संस्थागत ढांचा।
5. ई–पंचायत के जरिये पंचायतों की ई–गवर्नेन्स में वृद्धि।
6. पर्याप्त आय के स्रोतों के अभाव के कारण कमजोर पंचायतों को सहायता।
7. कार्यक्रम प्रबन्धन
8. सूचना, शिक्षा, संचार (आई.ई.सी.)
9. राज्य निर्वाचन आयोग का सुदृढ़ीकरण
10. अन्वेषणात्मक, अभिनव/इनोवेटिव गतिविधियाँ

पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना का नवीनीकरण

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों के मूल्यांकन एवं उत्साहवर्द्धन हेतु पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना 2011–12 से चलायी जा रही है। यह योजना शत–प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष 26 ग्राम पंचायत, 4 क्षेत्र पंचायत तथा 2 जिला पंचायत को विस्तृत चयन प्रक्रिया से चयनित कर भारत सरकार के स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में पुरस्कृत पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत को 7 लाख, प्रति क्षेत्र पंचायत को 15 लाख, प्रति जिला पंचायत को 25 लाख की धनराशि प्रदान की गई है जिसका उपयोग प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये मार्ग–निर्देशों के अनुसार सामुदायिक कार्यों पर किया गया है।

रिसोर्स सपोर्ट टु स्टेट्स

यह भी उल्लेखनीय है कि योजना की मार्गदर्शिका में दीर्घकालीन योजना तथा वार्षिक योजना तैयार करने के लिए रिसोर्स सपोर्ट टू स्टेट्स के अन्तर्गत राज्य से तैयार परियोजना प्रस्ताव के सापेक्ष रू0 7,83,350 के परियोजना को स्वीकृत करते हुए रू0 3,91,675 की धनराशि निम्न कार्यों के लिए राज्य सरकार को अवमुक्त की जा चुकी है :–

1. राज्य स्तर पर दो पूर्ण कालिक परामर्शदाता
2. राज्य स्तर पर दो पूर्ण कालिक स्टाफ सहायक
3. यात्रा व्यय
4. प्रथम उन्मुखीकरण/ कन्सलटेटिव वर्कशॉप
5. द्वितीय उन्मुखीकरण/ कन्सलटेटिव वर्कशॉप

वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि की अवमुक्ति

वर्ष 2012–13 के सपेक्ष 1500 न्याय पंचायत केन्द्र की ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण तथा प्रबन्धन एवं आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए कुल रू0 6.36 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी है। जिसमें से 75 प्रतिशत के आधार पर रू. 4.77 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है तथा 25 प्रतिशत अंशदान के आधार पर रू0 1.59 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी है।